न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
11/2021	10/02/2021	05/08/2025

1. भगवानदास पुत्र श्री धनराज
2. जयप्रकाश पुत्र श्री धनराज
3. नटटी बेवा श्री धनराज जातियान कलाल निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

बनाम — वादीगण

1. बाबूलाल पुत्र रामनाथ
2. घनश्याम पुत्र रामनाथ
3. कैलाशी पत्नि बाबूलान
4. इन्द्रा कुमारी पुत्री प्रभू
5. राममूर्ति पुत्री पुत्री प्रभू नाबालिक जर्ये वली माता घीसीबाई
6. हेमराज पुत्र प्रभू
7. घीसीबाई बेवा प्रभू जातियान कलाल निवासीगण लुहावद तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

उपस्थित वादीगण अधिवक्ताः–श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।
उपस्थित प्रतिवादीकम 2 व 6 के अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
उपस्थित प्रतिवादीकम 1 व 3 के अधिवक्ताः– श्री विकास पारेता एड0।

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 151 सी.पी.सी.
निर्णय

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस अपना तर्क प्रस्तुत किया कि वादीगण (अप्रार्थीगण) में पारिवारिक समझौता दिनांक 23.03.2006 के आधार पर घोषणा का वादपत्र पेश किया है। पारिवारिक समझौता के अनुसार तीनों भाई बाबूलाल, रामप्रताप तथा घनश्याम मृतक धनराज (वादीगणों के पिता) को फौती इन्तकाल खुलवाकर चारो भाइयों के हिस्से में 3–3 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देंगे तथा मौके पर चारो भाई 3–3 बीघा भूमि पर काबिज है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी कमांक 2 के बहस में प्रस्तुत किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि वाद में अंकित भूमि संबंधी वाद पूर्व में ही न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें पक्षकार व विवादित भूमि भी समाप्त है। जिसका वाद संख्या 44/05 है जो 14.06.2000 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका निर्णय दिनांक 29.03.2008 को विवादित भूमि के बंटवारा संबंधी पक्षकारान के मध्य किया गया और प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसमें प्रतिवादी प्रार्थी वादी था तथा दादीगण–प्रतिवादी थे। उक्त निर्णय के खिलाफ बाबूलाल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील भी की गई जो कि खारिज हो चुकी है। उक्त डिक्री की पालना में बंटवारे की रिपोर्ट आना शेष है। विषयवस्तु व विवादित आराजी व पक्षकार समान है अतः पुन प्रस्तुत उपरोक्त वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता न ही वाद लाया जा सकता है जो कि विधि द्वारा वाधित है।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र पर निर्णय पूर्व धारा 10 सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 का अवलोकन व विश्लेषण उक्त प्रार्थना पत्र की पृष्ठभूमि में उपयोगी होगा। इस धारा 10 सी.पी.सी. के अनुसार "कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्यविषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन थे या उनसे कोई कोई दावा करते है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित है"

शर्तेः—

उक्त वाद में पक्षकारः— इस वाद के पक्षकार (वादी तथा प्रतिवादीगण) रामनाथस तथा प्रभूलाल के वारिस है तथा यही पक्षकार पूर्व में संस्थित वाद 44/05 के है। रामनाथ, कान्हा तथा प्रभूलाल के विधिक वारिसों के अतिरिक्त अन्य कोई इसमें पक्षकार नहीं है। (तहसीलदार बहैसियम भू धारतु) अतः यह बिन्दु धारा 10 के पक्षकारों संबंधी शर्त की सम्पूर्ण अनुपालना में तथा पक्ष में है।

विवादित सम्पति— वर्तमान वाद तथा पूर्व में संस्थित वाद में विवादित आराजी खसरा संख्या 1019 रकबा 1.03 है0, खसरा सं0 1433 रकबा 0.95है0, ख0सं0 1080 रकबा 3.49है0, तथा ख0सं0 800 रकबा 0.25है0, कुल 4 किता कुल रकबा 5.72है0 कृषि भूमिया है। जो कि एक समान होने के कारण धारा 10 की शर्त के पूर्ण होने की पुष्टि है। ?

विवाद्य विषयः— वर्तमान वाद तथा पूर्व में संस्थित वाद में विवाद्य विषय ने केवल प्रत्यक्षतः बल्कि सारतः भी समान है। अतः इस वाद में Res Subjudice का न्यायिक सिद्धांत पूर्णतः प्रयोजयनीय है इस संबंध में Supreme court of India के निम्नालिखित Judgements भी उल्लेखनीय है—

1. Indian Bank vs Maharashtra state co-operative marketing federation ltd, 1998 प्रा0पत्र धारा 10 सी.पी.सी. पश्चातवर्ती वाद के विचारण को स्थगित करता है। पर रोक लगाता है न कि संस्थित होने पर।
2. Ms पुखराज जैन बनाम गोपाल कृष्ण, 2004 माननीय न्यायालय ने स्थापित किया कि पहले से दायर वाद अगर सक्षम न्यायालय में लम्बित है और अगर दूसरा वाद समान मामले में उसी या सक्षम न्यायालय में लाया जाता है तो न्यायिक मतभेद Judicail conflict को रोकने के लिए पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित करना होगा।

अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस, सी0पी0सी0 धारा 10 की मूल भावना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के कई मामलों में स्थापित निर्वचनों के प्रकाश में न्यायिक दक्षता, परस्पर विरोधी निर्णयों की रोकथाम तथा पक्षकारों के अनावश्यक उत्पीडन को कम करने के लिए इस वाद के Trial को स्थगित पूर्ववर्ती वाद के फैसल तक किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हेमन्त कुमार घनघोर
सहायक कलक्टर
फास्ट—ट्रेक इटावा